जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 17.09.2024

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 04 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना धनघटा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6002 द्वारा सड़क मार्ग दुर्घटना में अनियंत्रित ट्रक से डीसीएम में पीछे टक्कर लग जाने के कारण घायल 02 व्यक्तियों को इलाज हेतु भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 6002 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत बाजपुर से इवेन्ट संख्या 30756 से कालर द्वारा सड़क मार्ग दुर्घटना में अनियंत्रित ट्रक से डीसीएम में पीछे टक्कर लग जाने के कारण 02 व्यक्तियों (1- अमरपाल पुत्र ज्ञान सिंह, 2- राजेश कुमार पुत्र सुरेशनाल, ग्राम रतनपुर, थाना बाघपुर (उत्तराखण्ड) गम्भीर रूप से घायल होने सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल हुए व्यक्तियों को इलाज हेतु एम्बुलेंस 108 की सहायता से जिला अस्पताल भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना को0 खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सुझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल हुए व्यक्तियों को इलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ- मु0आ0 असगर अली, आ0 सुधीर तिवारी, आ0चा0 राजन प्रसाद।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 29 वाहनों से 30,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 17.09.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 29 वाहनों से 30,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 17.09.2024

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 अदद मोटर साईकिल, 01 अदद मोबाईल के साथ 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन में व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजीत चौहान*** के नेतृत्व में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान जनपद में चोरी जैसी घटनाओं के सफल अनावरण हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री सतीश कुमार सिंह*** द्वारा गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 686/2024 धारा 303(2), 317(2), 317(5) BNS से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. आबिद अली पुत्र मो0 यासीन निवासी ग्राम परदेशवा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर 2. लालचन्द मौर्या उर्फ राजीव नन्दन मौर्या पुत्र रामछैल मौर्य निवासी मड़या अचकपुरवा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को 02 अदद मोटर साईकिल, 01 अदद मोबाईल तथा जामा तलाशी के 350रु0, जामा तलाशी के 02 अदद मोबाईल फोन के साथ राज ग्लोबल विद्यालय मोड़ के पास से गिरफ्तार करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनांक 06.09.2024 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अपनी मोटर साईकिल दिनांक 03/04.09.2024 की रात्रि में अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लेने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर घटना का सफल अनावरण करते हुए उक्त अभियुक्तगण को आज दिनांक 17.09.2024 को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

***गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण*–**

1. आबिद अली पुत्र मो0 यासीन निवासी ग्राम परदेशवा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
2. लालचन्द मौर्या उर्फ राजीव नन्दन मौर्या पुत्र रामछैल मौर्य निवासी मड़या अचकपुरवा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

***बरामदगी का विवरण*–** 02 अदद मोटर साईकिल, 01 अदद मोबाईल, जामा तलाशी के 350रु0, जामा तलाशी के 02 अदद मोबाईल फोन।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण - उ0नि0 कौशल किशोर पाण्डेय, हे0का0 राजकुमार पटेल, का0 रंजन राजभर, का0 धर्मेन्द्र यादव, का0 लालचन्द प्रसाद ।

जनपद – संतकबीरनगर*   *प्रेस विज्ञप्ति*   *दिनाँक 17.09.2024

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए जानलेवा हमला करने के मामले में 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजीत चौहान*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस*** द्वारा मु0अ0सं0 332/2024 धारा 147 / 323 / 307 भादवि के मामले में अभियुक्त जयप्रकाश यादव उर्फ कवि पुत्र स्व0 लालमन यादव निवासी मोहम्मदपुर कठार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्त कबीर नगर को बंगला ताल के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

संक्षिप्त विवरणः- विदित हो कि वादी श्री विनोद कुमार यादव पुत्र श्री श्रीराम यादव निवासी उड़री कटरा थाना अखण्डनगर जनपद सुल्तानपुर PSO मा0 मन्त्री जी (डा0 संजय कुमार निषाद पुत्र विजय निषाद निवासी संगम चौराहा थाना पादरी बाजार मंत्री मत्स्य विभाग उ0प्र0) द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर दिनांक 21/22.04.2024 की रात को मा0 मन्त्री जी (डा0 संजय कुमार निषाद मंत्री मत्स्य विभाग उ0प्र0) द्वारा ग्राम सभा मोहम्मदपुर कठार में एक शादी समारोह में शिरकत के दौरान उक्त अभियुक्त व उनके साथियो द्वारा अचानक मा0 मंत्री जी पर जानलेवा हमला करने के सम्बन्ध में तहरीरी सूचना दी गयी थी। तहरीरी सूचना पर दिनांक 22.04.2024 को थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर पर मु0अ0सं0 332/2024 धारा 147/323/307 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त प्रकरण से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1.सुभाष यादव पुत्र रामकेवल यादव 2.गजेन्द्र यादव पुत्र रामानन्द यादव 3.सुरेन्द्र यादव पुत्र स्व0 लालमन यादव 4.दुर्ग विजय यादव पुत्र जगदीश यादव निवासीगण मोहम्दपुर कठार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को दिनांक 22.04.2024 को तथा 5. राधेश्याम यादव पुत्र रामनयन निवासी मोहम्मदपुर कठार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को दिनांक 25.04.2024 को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया था। आज दिनांक 17.09.2024 को उक्त प्रकरण से सम्बन्धित अभियुक्त जयप्रकाश यादव उर्फ कवि पुत्र स्व0 लालमन यादव निवासी मोहम्मदपुर कठार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्त कबीर नगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- प्रभारी निरीक्षक कोतवाली खलीलाबाद श्री सतीश कुमार सिंह, उ0नि0 श्री अशोक कुमार सिंह, हे0का0 राकेश गौंड, का0 कृष्णानन्द शाह।

जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 17.09.2024

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने, दुष्कर्म करने तथा धमकी देने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना धनघटा पुलिस*** द्वारा मु0अ0सं0 473/2024 धारा 87, 351(3), 64 बीएनएस के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता मनीष पुत्र त्रिलोकी निवासी पिपरसंडी थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर को आज दिनांक 17.09.2024 को लोहरैया चौराहे के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनांक 06.08.2024 को थाना धनघटा पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने, धमकी देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना धनघटा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए साक्ष्य संकलन के आधार पर सुसंगत धारा की बढोत्तरी करते हुए उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री आशुतोष मणि त्रिपाठी, हे0का0 राणा प्रताप यादव।

जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 17.09.2024

थाना मेहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखण्डता को खतरे में डालने सम्बन्धित व्यक्तव्य देने वाले पाकिस्तानी मौलवीयों का फोटोयुक्त बैनर जानबूझकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने एवं राष्ट्रीय सम्प्रभुता को खतरे में डालने के उद्देश्य से लगाने के मामले में 02 अभियुक्तगण व 01 बाल अपचारी को किया गया गिरफ्तार ।

आज दिनांक 17.09.2024 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेहदावल ***श्री केशवनाथ*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना मेहदावल ***श्री रामकृपाल सिंह*** द्वारा के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा थाना मेहदावल के ग्राम ठठराही में भारत की भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखण्डता को खतरे में डालने वाले व्यक्तव्य देने वाले पाकिस्तानी मौलवीयों का फोटोयुक्त बैनर जानबूझकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने एवं राष्ट्रीय सम्प्रभुता को खतरे में डालने के उद्देश्य से लगाने के मामले में अभियुक्तगण 1. अमजद पुत्र अब्दुल रहमान कादरी 2. आलम उर्फ पुत्तुल पुत्र आलमगीर उर्फ गब्बू निवासीगण हर्दीहट्टा उत्तरीपट्टी कस्बा मेहदावल थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर व 3. बाल अपचारी को अन्तर्गत मु0अ0सं0 252/2024 धारा 152, 196(क), 197(ख) बीएनएस में आज दिनांक 17.09.2024 को मेहदावल ब्लाक के पास से मा0 सर्वोच्य न्यायालय व मानवाधिकार के आदेशों व निर्देशो का अक्षरशः पालन करते हुए गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

संक्षिप्त विवरणः- थाना मेहदावल क्षेत्र के ठठराही में दिनांक 16.09.2024 को भारत की सम्प्रभुता, एकता एवं अखण्डता को खतरे में डालने वाले व्यक्तव्य देने वाले पाकिस्तानी मौलवीयों का फोटोयुक्त बैनर जानबूझकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने एवं राष्ट्रीय सम्प्रभुता को खतरे में डालने के उद्देश्य से लगाया गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना मेहदावल पर दिनांक 16.09.2024 को अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में आज दिनांक 17.09.2024 को अभियुक्तगण 1. अमजद पुत्र अब्दुल रहमान कादरी 2. आलम उर्फ पुत्तुल पुत्र आलमगीर उर्फ गब्बू निवासीगण हर्दीहट्टा उत्तरीपट्टी कस्बा मेहदावल थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर व 3. बाल अपचारी को मा0 सर्वोच्य न्यायालय व मानवाधिकार के आदेशों का अक्षरशः पालन करते हुए गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अभियुक्त का नाम व पत्ताः-

1. अमजद पुत्र अब्दुल रहमान कादरी हर्दीहट्टा उत्तरीपट्टी कस्बा मेहदावल थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर।
2. आलम उर्फ पुत्तुल पुत्र आलमगीर उर्फ गब्बू निवासी हर्दीहट्टा उत्तरीपट्टी कस्बा मेहदावल थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर।
3. बाल अपचारी।

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगणः- उ0नि0 श्री संजय कुमार वर्मा, का0 वीरेन्द्र कुमार, का0 मिंटु गुप्ता।